न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 31/20 (वाद)

GCMS No. : 2020/00058

1. श्री बिहारीलाल पिता स्व. नन्दलाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री संतोष कुमार पिता स्व. नारायणलाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
2. श्री अशोक कुमार माता स्व. बदामबाई पिता गिरधारीलाल अग्रवाल, महाजन निवासी 116 अग्रवाल नगर, नई भूमि इन्दौर, मध्यप्रदेश।
3. श्री रमेश कुमार माता स्व. बदामबाई पिता गिरधारीलाल अग्रवाल, महाजन निवासी 22 न्यू अग्रवाल नगर, सपना संगीता रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
4. श्री अनिल कुमार माता स्व. बदामबाई पिता गिरधारीलाल अग्रवाल, महाजन निवासी 22 न्यू अग्रवाल नगर, सपना संगीता रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
5. श्री राजू कुमार माता स्व. बदामबाई पिता गिरधारीलाल अग्रवाल, महाजन निवासी 22 न्यू अग्रवाल नगर, सपना संगीता रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
6. श्री पवन कुमार माता स्व. बदाम बाई पिता गिरधारीलाल अग्रवाल, महाजन निवासी स्कीम नम्बर 47 गौरव अपार्टमेन्ट रामबाबू के सामने, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
7. श्री सुरेश कुमार गर्ग माता स्व. धापुबाई पिता कमलचन्द अग्रवाल, महाजन निवासी कमल पैलेस, यशवंत निवास रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
8. श्रीमती शान्ता बाई पुत्री स्व. नन्दलाल पत्नी शेषमल मिततल अग्रवाल निवासी 15 ज्ञानमार्ग सुरजपोल उदयपुर।
9. श्री नरेश चन्द्र पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
10. श्री कैलाशचन्द्र पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
11. श्री महेशचन्द्र पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
12. श्रीमती राधा देवी पुत्री स्व. जगदीश लाल पत्नी जिनेन्द्र कुमार जैन निवासी मण्डी यार्ड, नीमच, मध्यप्रदेश।
13. श्री मुरारी लाल पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
14. श्री गोपाल लाल पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
15. श्री अनिल कुमार पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
16. श्री अभय कुमार पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
17. श्रीमती पुष्पा देवी पिता स्व. जगदीश लाल पत्नी हेमेन्द्र कुमार जिन्दल अग्रवाल, महाजन निवासी बापू बाजार, मुसाफिर बेग, उदयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:49 IST
Reason: SelfAttested

18. श्रीमती कान्ता माता स्व. दाखीबाई पत्नी विजय कुमार अग्रवाल निवासी 72 लक्ष्मी मार्ग, अमल का कांटा, उदयपुर।
19. श्री रमेशचन्द्र माता स्व. दाखीबाई पिता गौरीशंकर अग्रवाल निवासी 113 नाकोडा नगर, धाउजी की बावडी, ट्रांसपोर्ट नगर, देबारी, उदयपुर।
20. श्रीमती पुष्पा माता स्व. दाखीबाई पत्नी जिनेश जी रायपुरिया निकुंज, विनायक विहार विस्तार कॉलोनी गोकुल बीके कॉल नगर, अजमेर।
21. श्री सुशील माता स्व. ग्यारसी बाई पिता सुरेशचन्द्र गोयल अग्रवाल निवासी सुधीर ट्रेडर्स, सेनेटरी स्टोर 5 बस्ती चौराया, नसीराबाद जिला अजमेर।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक 11.02.2021

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर की खाता संख्या नया 65 पुराना 79 आराजी संख्या 98 रकबा 01.18 बीघा। उपरोक्त विवरण की कृषि भूमि वर्तमान में नन्दलाल पिता लखमीचन्द 1/2 संतोष कुमार झमकुबाई, बदामबाई, धापुबाई पिता नारायणलाल 2/5 मु. नगीना बाई पत्नी स्व. नारायणलाल जी 1/10 महाजन सा. देह खातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।
2. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

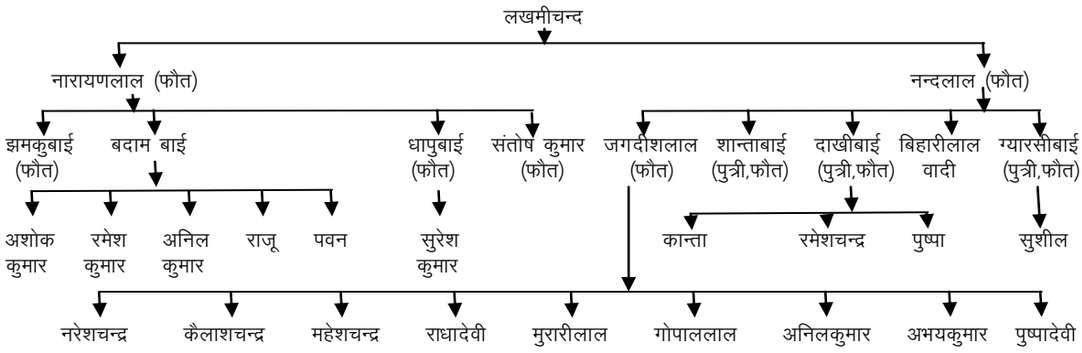

3. यह कि उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी स्व. नन्दलाल जी एवं नारायण लाल जी की संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि थी एवं वादी बिहारीलाल जी खातेदार स्व. नन्दलाल जी का जायन्दा पुत्र होकर विधिक वारिस हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:49 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि खातेदार स्व. नारायण लाल जी की दिनांक 13.03.1970 को मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् विरासत से प्रतिवादी सं. 1 संतोष कुमार एवं झमकु बाई, बदाम बाई, धापुबाई एवं मु. नगीना बाई के नाम विरासत से राजस्व रेकार्ड में अंकित हुई। परन्तु खातेदार झमकुबाई, बादामबाई, धापुबाई एवं मु. नगीना बाई की भी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी हैं तथा इनके विधिक वारिस वाद में वर्णित प्रतिवादी सं. 2 से लगायत 7 तक हैं जिनको वाद में पक्षकार बनाया गया हैं।
5. यह कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार नन्दलाल जी की दिनांक 18.02.1980 को मृत्यु हो चुकी है तथा उनके विधिक वारिस वादी बिहारीलाल एवं वाद में वर्णित प्रतिवादी सं. 8 से लगाकर 21 तक है जिनको वाद में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया हैं।
6. यह कि खातेदार नारायणलाल जी के जीवनकाल से ही उनके हिस्से की कृषि भूमि पर वादी का आधिपत्य चला आ रहा है तथा वादी के ही कब्जे काश्त है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् भी अर्थात् आज भी वादी का ही आधिपत्य है तथा काश्तकार है परन्तु राजस्व रेकार्ड में आदिनांक तक वादी के नाम दर्ज नहीं होने से वादग्रस्त कृषि भूमि पर विवाद होने की आशंका है इसलिए खातेदार नारायण लाल जी के विधिक वारिसों का कभी भी मौके पर आधिपत्य नहीं रहा तथा नहीं आज है। इसलिए नारायण लाल जी के विधिक वारिसों ने वादी के पक्ष में एक हक त्याग दिनांक 14.08.2020 को निष्पादित कर दिया जिससे वादी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करा सके तथा वादी वादग्रस्त भूमि जो प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 तक के नाम राजस्व रेकार्ड में जो 1/2 हिस्सा दर्ज है उक्त भूमि वादी के पक्ष में हकत्याग हो जाने से अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी हैं।
7. यह कि खातेदार नन्दलाल जी की मृत्यु हो चुकी है परन्तु राजस्व रेकार्ड में आज भी वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में मृत खातेदार के नाम ही दर्ज है तथा इनके विधिक वारिसों ने वादी स्वयं का 1/10 हिस्सा निहित है तथा इसी प्रकार नन्दलाल जी के अन्य वारिस प्रतिवादी सं. 8 शांताबाई का भी 1/10 हिस्सा तथा नन्दलाल जी के अन्य मृत पुत्र जगदीश के विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 9, 10 एवं 12 से 15 [illegible] का 7/90 हिस्सा एवं मृत पुत्री दाखीबाई के विधिक वारि[illegible] प्रतिवादी [illegible]8 से 20 एवं मृत पुत्री ग्यारसी बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Rumadia
Date: 2021.02.14 13:26:49 IST
Reason: SelfAttested

के विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 21 का 1/10 हिस्सा वादी के पक्ष में दिनांक 14.08.2020 को हकत्याग कर देने से तथा हकत्याग के आधार पर भी वादी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी हैं।

8. यह कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी के पक्ष में पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 10 एवं 12 से लगायात 15, 17 से 21 के द्वारा हकत्याग (Release Deed) कर देने से वादी वादग्रस्त कृषि भूमि को हकत्याग विलेख के आधार पर अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी हैं।

9. यह कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी के पक्ष में हकत्याग हो जाने से एवं उक्त कृषि भूमि पर वादी का ही आधिपत्य चला आ रहा है तथा वादी ही काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त प्रतिवादीगण द्वारा अपने–अपने हिस्से का हक त्याग विलेख कर देने से वादग्रस्त भूमि में उनका कोई हिस्सा अवशेष नहीं रहता है इसलिए वादी मृत खातेदार नन्दलाल जी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण एवं खातेदार नारायणलाल जी के विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 8 से लगायत 10, 12 से 15 एवं 17 से लगायत 21 के नाम दर्ज हिस्से को अपने नाम घोषणा कराने का अधिकारी है तथा उक्त कृषि भूमि की घोषणा करने पर वादी राजस्व रेकार्ड में भी इन्द्राज कराने का अधिकारी हैं।

10. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि खातेदार नन्दलाल जी एवं नारायणलाल जी के द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादी को वसीयत कर देने से उक्त कृषि भूमि में उनका कोई हिस्सा शेष नहीं रहता हैं। फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा खातेदार नारायण लाल जी की मृत्यु के पश्चात् इनके विधिक वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में विरासत से नामान्तरण दर्ज कर दिया जो कानूनन गलत है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि को वसीयत में पाने से एवं 40 वर्ष से उक्त कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हैं। इसलिए वादी अपने नाम पर घोषणा कराने का अधिकारी है तथा उक्त कृषि भूमि की घोषणा होने पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने का भी अधिकारी हैं।

11. यह कि वाद में वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 2 से लगाकर 21 तक अपने नाम पर दर्ज नहीं करावे एवं प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त कृषि भूमि को अपने नाम का नाजायज लाभ उठाते हुवे विक्रय हस्तान्तरण नहीं करें तथा उक्त प्रतिवादीगण वादी के उपयोग उपभो[illegible] अवरोध उत्पन्न नहीं करें एवं न

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:49 IST
Reason: SelfAttested

ही अपने नौकर एजेन्ट से करावें इस आशय की वादी एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकारी हैं।

12. यह कि वादकारण दिनांक 20.08.2020 को उत्पन्न हुआ जब वादी हक त्याग विलेख के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो उन्होने मना कर दिया एवं कोर्ट से अपना नाम दर्ज कराने को कहा इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व उक्त वाद पेश करना आवश्यक हो गया।

13. यह कि वाद में वर्णित प्रतिवादी सं. 11 एवं 16 मृत खातेदार नन्दलाल जी के पुत्र जगदीश के विधिक वारिस होने से एवं वादग्रस्त कृषि भूमि में इनका भी हक अधिकार निहित होने से अर्थात् इनका 2/90 हिस्से का अधिकारी होने से वाद में पक्षकार बनाया गया हैं।

14. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 से 10, 12 से 15 एवं 17 से 21 के विरूद्व इस आशय की घोषणा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी बिहारीलाल के नाम घोषित फरमाई जावे एवं तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करने की आज्ञा प्रदान कराई जावें। वादी के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 से 10, 12 से 15 एवं 17 से 21 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि वाद में वर्णित कृषि भूमि को विक्रय हस्तान्तरण नहीं करे एवं वादी के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करें।

15. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 से 21 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब नहीं देना चाहकर वादी के वाद को स्वीकार किया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 द्वारा आपसी राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया।

16. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री बिहारीलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री उदयलाल, पीडब्ल्यू 3 जयप्रकाश का पेश किया। प्रतिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रतिवादी शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्री संतोष कुमार का पेश किया।

17. वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, नारायणलाल जी के विधिक वारिसान द्वारा किया गया हकत्या[illegible]क 14.08.20 प्रदर्श 2 व इसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:49 IST
Reason: SelfAttested

छायाप्रति प्रदर्श 2ए, नन्दलाल जी द्वारा किया गया हकत्याग प्रदर्श 3 व इसकी छायाप्रति प्रदर्श 3ए पेश की।

18. प्रकरण में अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सं. 1 की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा आपसी राजीनामा अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

19. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सं. 1 की बहस पर बगौर मनन किया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण पैतृक सम्पति होना बताया जो पूर्व में मौरूस लख्मीचन्द से प्राप्त होना बताया हैं। लख्मीचन्द के दो पुत्र नारायणलाल व नन्दलाल हुए। नारायणलाल के वारिस प्रतिवादी सं. 1 सन्तोष कुमार व नारायणलाल की पुत्री धापुबाई के वारिस प्रतिवादी सं. 7 सुरेश कुमार व नारायणलाल की पुत्री बदामबाई के वारिस प्रतिवादी सं. 2 से 6 एवं लख्मीचन्द के दूसरे पुत्र नन्दलाल के वारिसों में बिहारीलाल वादी एवं शान्ताबाई प्रतिवादी सं. 8 व पुत्र जगदीश के वारिस प्रतिवादी सं. 9 से 17 एवं पुत्री दाखीबाई के वारिस 18 से 20 व पुत्री गयारसीबाई के वारिस प्रतिवादी सं. 21 होकर वाद में पक्षकार हैं।

20. प्रकरण में वादग्रंस्त भूमि को प्रतिवादी सं. 1 से 21 द्वारा 500 रूपये के स्टाम्प पर हकत्याग करके अपना हिस्सा बिहारीलाल के पक्ष में करना बताया है। पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली में 500 रूपये पर हकत्याग प्रदर्श 2ए दिनांक 14.08.2020 पर प्रतिवादी सं. 1 से 7 व वादी बिहारीलाल के हस्ताक्षर है। हकत्याग सं. प्रदर्श 3ए में वादी व प्रतिवाद सं. 8,9,12,13,14,15,17,18,20 के हस्ताक्षर होकर उक्त दोनों हकत्याग अनरजिस्टर्ड होकर 500 रूपये के स्टाम्प पर है। वादग्रस्त भूमि मूलपुरूष लक्ष्मीचंद से वादी व प्रतिवादगण को प्राप्त हुई है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि नन्दलाल पिता लखमीचन्द्र 1/2 सन्तोषकुमार, झमकुबाई, बदामबाई, धापुबाई पिता नारायण लाल 2/5 मु. नगिनाबाई पत्नी स्व. नारायणलाल 1/10 महाजन सा. देह खातेदार दर्ज है। लखमीचंद के वारिसों में उसके पुत्र नारायण व नंदलाल हुए जिनमें नारायण के वारिसों में उसकी पुत्री झमकुबाई लावल्द फौत हो चुकी है। पुत्र संतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 है। धापुबाई फौत होने से उसके वारिस प्रतिवादी सं. 7 है। बदामबाई फौत होने से उसके वारिस प्रतिवादी सं. 2 से 6 रेकार्ड पर है। खातेदार झमकुबाई लाऔलाद फौत होने से प्रतिवादी सं. 1 से 7 ही इनके वारिस हैं। इस प्रकार खातेदार संतोषकुमार, बदामबाई के वारिस प्रतिवादी सं. 2 से 6 व खातेदार धापुबाई के वारिस प्रतिवादी सं. 7 ने वादी बिहारीलाल के पक्ष में दिनांक 14.08.2020 को 500/— रूपयें के स्टाम्प पर अपना हक त्याग कर दिया हैं। इसी प्रकार नन्दलाल के वारिसों में नन्दलाल के पुत्र जगदीशलाल के वारिस प्रतिवादी सं. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 व पुत्री शान्ताबाई प्रतिवादी सं. 8 व पुत्री दाखीबाई के वारिस प्रतिवादी सं. 18, 19, 20 व पुत्री ग्यारसीबाई के वारिस प्रतिवादी सं. 21 ने नन्दलाल के वारिस बिहारीलाल वादी के पक्ष में दिनांक 14.08.2020 को 500/— रूपयें के स्टाम्प पर अपना हक त्याग कर दिया हैं।

21. प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 सन्तोष कुमार ने स्वयं उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया है व हक त्याग पत्र को सही बताकर आपसी राजीनामा अनुसार उनके पिता नारायणलाल जी का 1/2 हिस्सा को वादी के नाम दर्ज कराने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री बिहारीलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री उदयलाल, पीडब्ल्यू 3 श्री जयप्रकाश व डीडब्ल्यू 1 श्री संतोष का शपथ पत्र पेश हुआ हैं। हकत्याग में गवाह के रूप में साक्षी श्री उदयलाल पिता नवलराम जाट निवासी फतहनगर द्वारा भी वादी के पक्ष में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 2 पेश कर प्रतिवादीगण द्वारा वादी बिहारीलाल के पक्ष में हक त्याग करने की बात को सत्य ठहराया हैं एवं उक्त हक त्याग की ताईद की। इसी प्रकार हक त्याग के दूसरे गवाह श्री जयप्रकाश पिता बिहारीलाल बसंल निवासी फतहनगर ने भी वादी के पक्ष में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 3 पेश कर प्रतिवादीगण द्वारा वादी बिहारीलाल के पक्ष में हक त्याग करने की बात को सत्य ठहराया हैं एवं उक्त हक त्याग की ताईद की।

22. इस प्रकार वादी द्वारा गवाह सबूतों के आधार पर व राजीनामें अनुसार इस बात को साबित करने में सफल रहा हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में अपने हिस्से को जरिये हक त्याग पत्र से त्याग किया हैं। मौके पर वादी बिहारीलाल का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pumadia
Date: 2021.02.14 13:26:49 IST
Reason: SelfAttested

ही कब्जा होना बताया हैं। शेष प्रतिवादीगण भी न्यायालय में बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए है जिससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड में अंकित खातेदारों के वारिसों में से प्रतिवादी सं. 11 महेशचन्द्र व प्रतिवादी सं. 16 अभय कुमार को छोडकर सभी ने वादी बिहारीलाल के पक्ष में अपना हक त्याग कर दिया हैं। अतः वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 11 महेशचन्द्र का 1/90 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 16 अभय कुमार का 1/90 हिस्सा बनता हैं जिसको प्रतिवादी सं. 11 व 16 द्वारा वादी के पक्ष में हक त्याग नहीं किया हैं। चूंकि खातेदारों की मृत्यु हो चुकी हैं। इस आधार पर राजस्व रेकार्ड में खातेदार के वारिस को राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार खातेदार घोषित करते हुए इनके हिस्से को छोडकर शेष 44/45 हिस्सें पर ही वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः वादी का वाद आपसी राजीनामा अनुसार आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर की खाता संख्या नया 65 पुराना 79 आराजी संख्या 98 रकबा 01.18 बीघा भूमि में खातेदार संतोषकुमार, झमकुबाई, बदामबाई, धापुबाई पिता नारायणलाल 2/5 व नगीनाबाई पत्नी स्व. नारायणलाल 1/10 एवं नन्दलाल पिता लख्मीचन्द 1/2 के बजाय प्रतिवादी सं. 11 महेशचन्द्र पिता जगदीश 1/90 व प्रतिवादी सं. 16 अभय कुमार पिता जगदीश 1/90 एवं वादी बिहारीलाल को 44/45 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री बिहारीलाल पिता स्व. नन्दलाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री संतोष कुमार पिता स्व. नारायणलाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
2. श्री अशोक कुमार माता स्व. बदामबाई पिता गिरधारीलाल अग्रवाल, महाजन निवासी 116 अग्रवाल नगर, नई भूमि इन्दौर, मध्यप्रदेश।
3. श्री रमेश कुमार माता स्व. बदामबाई पिता गिरधारीलाल अग्रवाल, महाजन निवासी 22 न्यू अग्रवाल नगर, सपना संगीता रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
4. श्री अनिल कुमार माता स्व. बदामबाई पिता गिरधारीलाल अग्रवाल, महाजन निवासी 22 न्यू अग्रवाल नगर, सपना संगीता रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
5. श्री राजू कुमार माता स्व. बदामबाई पिता गिरधारीलाल अग्रवाल, महाजन निवासी 22 न्यू अग्रवाल नगर, सपना संगीता रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
6. श्री पवन कुमार माता स्व. बदाम बाई पिता गिरधारीलाल अग्रवाल, महाजन निवासी स्कीम नम्बर 47 गौरव अपार्टमेन्ट रामबाबू के सामने, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
7. श्री सुरेश कुमार गर्ग माता स्व. धापुबाई पिता कमलचन्द अग्रवाल, महाजन निवासी कमल पैलेस, यशवंत निवास रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
8. श्रीमती शान्ता बाई पुत्री स्व. नन्दलाल पत्नी शेषमल मिततल अग्रवाल निवासी 15 ज्ञानमार्ग सुरजपोल उदयपुर।
9. श्री नरेश चन्द्र पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
10. श्री कैलाशचन्द्र पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
11. श्री महेशचन्द्र पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
12. श्रीमती राधा देवी पुत्री स्व. जगदीश लाल पत्नी जिनेन्द्र कुमार जैन निवासी मण्डी यार्ड, नीमच, मध्यप्रदेश।
13. श्री मुरारी लाल पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
14. श्री गोपाल लाल पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
15. श्री अनिल कुमार पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।
16. श्री अभय कुमार पिता स्व. जगदीश लाल अग्रवाल, महाजन निवासी फतहनगर तह. मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:49 IST
Reason: SelfAttested

17. श्रीमती पुष्पा देवी पिता स्व. जगदीश लाल पत्नी हेमेन्द्र कुमार जिन्दल अग्रवाल, महाजन निवासी बापु बाजार, हमसफर बेग, उदयपुर।
18. श्रीमती कान्ता माता स्व. दाखीबाई पत्नी विजय कुमार अग्रवाल निवासी 72 लक्ष्मी मार्ग, अमल का कांटा, उदयपुर।
19. श्री रमेशचन्द्र माता स्व. दाखीबाई पिता गौरीशंकर अग्रवाल निवासी 113 नाकोडा नगर, धाउजी की बावडी, ट्रांसपोर्ट नगर, देबारी, उदयपुर।
20. श्रीमती पुष्पा माता स्व. दाखीबाई पत्नी जिनेश जी रायपुरिया निकुंज, विनायक विहार विस्तार कॉलोनी गोकुल बीके कॉल नगर, अजमेर।
21. श्री सुशील माता स्व. ग्यारसी बाई पिता सुरेशचन्द्र गोयल अग्रवाल निवासी सुधीर ट्रेडर्स, सेनेटरी स्टोर 5 बस्ती चौराया, नसीराबाद जिला अजमेर।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 31/20 (वाद) GCMS No. : 2020/00058

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:—

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर की खाता संख्या नया 65 पुराना 79 आराजी संख्या 98 रकबा 01.18 बीघा भूमि में खातेदार संतोषकुमार, झमकुबाई, बदामबाई, धापुबाई पिता नारायणलाल 2/5 व नगीनाबाई पत्नी स्व. नारायणलाल 1/10 एवं नन्दलाल पिता लख्मीचन्द 1/2 के बजाय प्रतिवादी सं. 11 महेशचन्द्र पिता जगदीश 1/90 व प्रतिवादी सं. 16 अभय कुमार पिता जगदीश 1/90 एवं वादी बिहारीलाल को 44/45 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.02.2021 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.14 13:26:49 IST
Reason: SelfAttested